न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 30/2020

1. दिनेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–ग्राम भूरावाली, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. रमेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–ग्राम भूरावाली, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. महेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–ग्राम भूरावाली, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. राकेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–ग्राम भूरावाली, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. कैलाश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–ग्राम भूरावाली, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर। (मृतक दौराने अपील)
   1/1. माली देवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल शर्मा, निवासी–15 बी, कृष्णापुरी, राकडी हटवाडा रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उप–तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर निर्णय दिनांक 09.06.2016 नामान्तरकरण सं0 342 ग्राम भूरावाली)

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री नीरज चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1/1 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.07.2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील ग्राम भूरावाली, तहसील आमेर, जिला–जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि ख0नं0 407, 408, 413, 414, 415, 447/2241, 448, 453, 457, 499/2244, 500, 417, 421, 449, 500/2247, 509, 512 कुल किता 17 कुल रकबा 3.43 हे0 भूमि के खातेदार स्व0 शंकर लाल पुत्र भूरा, जाति–बागडा ब्राम्हण का स्वर्गवास दिनांक 23.03.2006 को होने पर उक्त खातेदार के वारिसान श्रीमती माली देवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल एवं कैलाश पुत्र स्व0 शंकरलाल एवं श्रीमती संतोष देवी पुत्री शंकरलाल ने अपने हिस्से का हक त्याग पत्र अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करने के बावजूद उप तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने

नामान्तरकरण सं0 342 दिनांक 09.06.2016 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम अपीलार्थीगण के साथ खातेदारी में जोडकर नामान्तरकरण खोल देने पर प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया गया तथा रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी कर तलबी की गई। तहसीलदार, आमेर से नामान्तरकरण सं0 342 ग्राम भूरावाली की मूल प्रति प्राप्त की गई।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि ग्राम भूरावाली, पटवार हल्का जाहोता, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर स्थित आराजी ख0नं0 407, 408, 413, 414, 415, 447/2241, 448, 453, 457, 499/2244, 500, 417, 421, 449, 500/2247, 509, 512 कुल किता 17 कुल रकबा 3.43 हे0 भूमि हिस्सा जमाबंदी अनुसार खातेदार स्व0 शंकरलाल पुत्र भूरा, जाति–बागडा ब्राम्हण के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार शंकरलाल पुत्र भूरा का दिनांक 23.03.2006 को स्वर्गवास हो गया। खातेदार के वारिसान अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1, श्रीमती माली देवी एवं श्रीमती संतोष देवी के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हुआ। श्रीमती माली देवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल, श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल, कैलाश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल ने अपने हिस्से का हक त्याग अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 20.08.2014 को उप–पंजीयक आमेर, जिला–जयपुर में उपस्थित होकर निष्पादित कर पंजीयन करवाया गया। उप–तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, तहसील–आमेर ने बावजूद हकत्याग वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 342 दिनांक 09.06.2016 को अपीलान्ट्स के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम भी खोल दिया। रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा अवैधानिक रूप से खोले गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपीलान्ट्स को वादग्रस्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2019 को हुई। जानकारी होने के पश्चात् उनके द्वारा उप–तहसीलदार, रामपुरा डाबडी को नामान्तरकरण दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का जाहोता की रिपोर्ट के आधार पर उप–तहसीलदार, रामपुरा डाबडी द्वारा प्रकरण में अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 17.06.2020 को लॉकडाउन खुलने के पश्चात् उनके द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को आवेदन किया गया, परन्तु उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नही हुई। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 03.07.2020 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 03.07.2020 को ही वादग्रस्त नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त हुई। अपीलान्ट्स द्वारा कम पढे लिखे होने के कारण सदभाविक रूप से उक्त कार्यवाही की गई, उन्हे सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण के अपील की कार्यवाही की जानकारी नही थी, कानून की अज्ञानता, लॉकडाउन एवं कर्फ्यू आदि के कारण उनके द्वारा नियमानुसार निश्चित समयावधि में अपील प्रस्तुत नही की गई। अतः अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को कण्डोन एवं माफ किया जा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए विधि विरूद्ध रूप से खोले गये वादग्रस्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 के अन्तर्गत पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर तस्दीक किया गया है। अभियान के दौरान पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील में यह अंकित किया है कि उन्हे त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 24.12.2019 को हुई थी। उसके पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा अपने स्तर पर नामान्तरकरण दुरूस्ती के प्रयास किये गये, परन्तु नामान्तरकरण दुरूस्ती नही होने पर अपीलान्ट्स को दिनांक 03.07.2020 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा कानून की अज्ञानता, लॉकडाउन एवं कर्फ्यू आदि के कारण निश्चित समयावधि में अपील प्रस्तुत नही की गई है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों के आधार पर अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी हिस्सा जमाबंदी अनुसार स्व0 श्री शंकरलाल पुत्र श्री भूरा, जाति–बागडा ब्राम्हण के नाम खातेदारी में थी। दिनांक 23.03.2006 को खातेदार शंकरलाल पुत्र भूरा का स्वर्गवास होने पर मृतक शंकरलाल के वारिसान अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 तथा मृतक खातेदार की पत्नी श्रीमती माली देवी एवं मृतक खातेदार की पुत्री श्रीमती संतोष देवी के नाम से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हुआ। तत्पश्चात् मृतक शंकरलाल के वारिसानों मे से उनकी पत्नी श्रीमती माली देवी एवं पुत्री श्रीमती संतोष देवी तथा पुत्र कैलाश द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग मृतक शंकरलाल के शेष वारिसानों अर्थात् अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 20.08.2014 को जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र हकत्याग कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा यह वादग्रस्त नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा के दौरान तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 एवं पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण को भरने/तस्दीक करते समय हकत्याग पत्र का बिना अवलोकन किये ही खातेदार शंकरलाल पुत्र भूरा के अन्य पुत्रों के साथ रेस्पोडेन्ट सं0 1 कैलाश का भी नामान्तरकरण तस्दीक कर लिया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, हकत्याग का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 उप–तहसीलदार, रामपुरा डावडी द्वारा पंजीकृत हकत्याग का अवलोकन किये बिना ही अवैधानिक रूप से वादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो निरस्तनीय है।

उक्त विवचेनानुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 कैलाश पुत्र शंकरलाल के द्वारा उसके हिस्से की भूमि का हकत्याग अपीलान्ट्स के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किये जाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सं0 3 उप–तहसीलदार, रामपुरा डावडी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण सं0 342 ग्राम भूरावाली, तहसील–आमेर स्वीकृत/तस्दीक किया गया है। अतः विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक किये गये उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 342 को निरस्त किया जाता है तथा उप–तहसीलदार, रामपुरा डावडी, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः दस्तावेजों का अवलोकन कर उभयपक्षों को सुनकर विधि अनुसार पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.07.2021 को सुनाया गया।

30.7.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर